फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री भेरूलाल **विपक्षी :– श्री लाला**

किस्म मुकदमा – 53,188 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 61/06**

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 04.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी सं. 3/3 से 3/7 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल डांगी द्वारा निवेदन किया कि पक्षकारों को सूचित करने पर भी कोई उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः प्रतिवादी सं. 3/3 से 3/7 के हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर प्रारम्भिक डिक्री अनुसार बंटवाडा करते हुए वादी के 1/2 हिस्से को रिसीवरी से मुक्त करवाया जाकर रिसीवरी राशि एवं कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बंटवाडे पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। प्रकरण में दिनांक 22.04.22 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है जिसकी पालना में तहसीलदार मावली द्वारा पत्रांक 511 दिनांक 23.05.2022 से पीडी पालना पेश की हैं। वर्तमान में वादी सं. 1 बालिग हो चुका हैं। प्रकरण में वादी द्वारा माननीय भू.प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 06.07.2000 एवं माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 08.08.2001 की फोटो प्रति पेश की। माननीय भू. प्रबन्ध अधिकारी महोदय उदयपुर के प्रकरण सं. 39/2000 निर्णय दिनांक 06.07.2000 से कुलिया जमीन पर रिसीवरी नियुक्ति की थी जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. निगरानी टीए/74/2000/उदयपुर में निर्णय दिनांक 08.08.2001 से रिसीवरी में संशोधन करते हुए प्रतिवादीगण का हिस्सा रिसीवर से मुक्त कर 1/2 वादीगण के हिस्से पर रिसीवर नियुक्त किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका हैं। बंटवाडे पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर बंटवाडे को स्वीकार किया हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/– अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे एवं वादी के हिस्से की 1/2 भूमि को रिसीवरी से मुक्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि भूमि को रिसीवरी मुक्त कर वादी को बंटवाडे अनुसार 1/2 हिस्से का कब्जा सिपूर्द किया जावें। रिसीवरी की जमा राशि वादी को अदा की जावें।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	केशी पत्नी केला भेरूलाल पुत्र केला गाडरी सा. देह खातेदार	775	0.3399	0.18
		776	0.4452	0.24
		777	0.5908	1.18
		778	0.4856	0.45
		779	0.2347	0.18
		781	0.3642	0.29
		780 मी.	0.7851	2.44
	योग	**किता 07**	**3.2455**	**4.96**
2	नारायण लाल 5/18 पुत्र लाला नोजीबाई पत्नी लाला 1/18 भगा पुत्र रोडा 1/3, मोती पुत्र रोडा 1/3 जाति गाडरी सा. देह खातेदार	773	2.5252	4.67
		774	0.0243	–
		780/1	0.6960	2.16
	योग	**किता 3**	**3.2455**	**6.83**

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:22:32 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 61/06 (वाद)

उनवान

1. श्री भेरूलाल पिता केला गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
2. मु. केशी बेवा केला गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली। ....वादीगण

बनाम

1. श्री लाला पिता रोडा गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली के बजाय :–
1/1 श्री नारायण पिता लाला गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
1/2 श्रीमती मांगी पुत्री लाला गाडरी निवासी साकरिया खेडी गाडरियावास तह. मावली।
1/3 श्रीमती गणेशी पुत्री लाला पत्नी बाबुलाल गाडरी निवासी जेवाणा तह. मावली।
1/4 श्रीमती लोगरी (लोगी) पुत्री लाला पत्नी रामलाल गाडरी निवासी चंगेडी तह. मावली।
1/5 श्रीमती शम्भु पुत्री लाला पत्नी रूपलाल गाडरी निवासी वासनीकलां तह. मावली।
1/6 श्रीमती नोजीबाई बेवा लाला गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
2. श्री भगा पिता रोडा गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
3. श्री मोती पिता रोडा गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली के बजाय :–
3/1 श्रीमती जेतु बेवा मोती गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
3/2 श्रीमती भगु पुत्री मोती गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
3/3 श्री गणेश पिता मोती गाडरी बविलायत माता जेतु पत्नी मोती गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
3/4 श्री राजु पिता मोती गाडरी बविलायत माता जेतु पत्नी मोती गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
3/5 श्री कन्हैयालाल पिता मोती गाडरी बविलायत माता जेतु पत्नी मोती गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
3/6 सुश्री कृष्णा पुत्री मोती गाडरी बविलायत माता जेतु पत्नी मोती गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
3/7 सुश्री मीना पुत्री मोती गाडरी बविलायत माता जेतु पत्नी मोती गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. श्रीमती जमनी बेवा रोडा गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।
6. श्रीमती मोती पुत्री रोडा पत्नी रामा गाडरी निवासी खेमपुर तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04.08.2022 को कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा खेमपुर पटवार हल्का खेमपुर की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1	केशी पत्नी केला भेरूलाल पुत्र केला गाडरी सा. देह खातेदार	775	0.3399	0.18
		776	0.4452	0.24
		777	0.5908	1.18
		778	0.4856	0.45
		779	0.2347	0.18
		781	0.3642	0.29
		780 मी.	0.7851	2.44
	योग	**किता 07**	**3.2455**	**4.96**
2	नारायण लाल 5/18 पुत्र लाला नोजीबाई पत्नी लाला 1/18 भगा पुत्र रोडा 1/3, मोती पुत्र रोडा 1/3 जाति गाडरी सा. देह खातेदार	773	2.5252	4.67
		774	0.0243	—
		780/1	0.6960	2.16
	योग	**किता 3**	**3.2455**	**6.83**

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अंकित अंश [illegible] खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 04.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:22:32 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली